59

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1392–तीन / 2003 पुनरावलोकन – विरूद्व आदेश दिनांक 25–372003– पारित व्दारा – तत्का0सदस्य,राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर – प्रकरण कमांक 1568–एक / 2001 निगरानी

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर जिला रीवा ----आवेदक

विरूद्व

(1) वृजनन्दन प्रसाद पाण्डेय पुत्र मंगलराम पाण्डेय
मृतक वारिस
1– अनिरूद्व प्रसाद 2– रामविश्वास
3– हरप्रसाद पुत्रगण स्व. वृजनन्दन प्रसाद
4– सुश्री शॉति 5– सुश्री कुसुम
दोंनों पुत्रियॉ स्व. वृजनन्दन प्रसाद

(2) प्रबंधक जयप्रकाश इन्ड्रस्टीज लिमि0नौवस्ता
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री कुलदीप सिंह)

(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनॉक 19 – 06–2018 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन तत्कालीन सदस्य , म0प्र0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1568–एक / 2001 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–3–2003 के विरूद्व कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रस्तुत किया गया है।?

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 56 अ—19 / 1984—85 में पारित आदेश दिनांक 20—11—1985 से ग्राम दादर तहसील हुजूर स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 1384 रकबा 0.82 एकड़ का व्यवस्थापन वृजनन्दन प्रसाद पाण्डेय पुत्र मंगलराम पाण्डेय के नाम किया। नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर के प्रकरण कमांक 56 अ—19 / 1984—85 में की गई कार्यवाही का परीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया अनियमिततायें करना प्रतीत होने के आधार पर कलेक्टर जिला रीवा ने वृजनन्दन प्रसाद पाण्डेय पुत्र मंगलराम पाण्डेय के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिस पर वृजनन्दन प्रसाद पाण्डेय ने आपत्ति प्रस्तुत की। कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 99 / 1997—98 स्व.निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6—10—2000 से आपत्ति अमान्य की। कलेक्टर रीवा के अंतरिम आदेश दिनांक 6—10—2000 के विरूद्व आवेदक ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 207 / 2000—01 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 25—4—2001 से निगरानी नामंजूर की। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 25—4—2001 के विरूद्व राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई। तत्कालीन सदस्य , म0प्र0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1568—एक / 2001 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25—3—2003 से निगरानी स्वीकार कर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 25—4—2001 एंव कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 99 / 1997—98 स्व. निगरानी में की जा रही कार्यवाही निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार का भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 20—11—85 यथावत् रखा। तत्कालीन सदस्य , म0प्र0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 25—3—2003 के विरूद्व यह निगरानी मध्य प्रदेश शासन व्दारा प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रदेश शासन के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनावेदकगण को बार—बार सूचना पत्र भेजने के वाद भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों के क्रम में तत्कालीन सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 25–3–2003 तथा कलेक्टर रीवा व्दारा प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन दिनांक 12–9–2003 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि म0प्र0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 25–3–2003 को पारित है जबकि इस आदेश के विरूद्व पुनरावलोकन आवेदन 12–9–2003 का है। आवेदक के अभिभाषक ने बताया है जब राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 25–3–2003 की प्रति पृष्ठांकित होकर कलेक्टर रीवा के कार्यालय में पहुंची एंव कलेक्टर के अभिज्ञान में आदेश दिनांक 25–3–2003 लाया गया , तब अनुमति प्राप्ति उपरांत पुनरावलोकन प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सदभाविक है इसलिये विलम्ब क्षमा किया जावे। कलेक्टर व्दारा विलम्ब के सम्बन्ध में दिया गया स्पष्टीकरण समाधान–कारक है। वैसे भी तत्का. अध्यक्ष , म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर ने अंतरिम आदेश दिनांक 15–12–2003 से पुनरावलोकन आवेदन प्रचलनशील मानकर रिकार्ड मॅगाने के एंव क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी को निराकरण के लिये अधिकृत किया है जिसके कारण विलम्ब क्षमा है।

5/ म0प्र0शासन के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को ग्राम दादर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1384 रकबा 0.82 एकड़ वृजनन्दन प्रसाद पाण्डेय पुत्र मंगलराम पाण्डेय के नाम व्यवस्थापित हो जाने के उपरांत इस पटटाग्रहीता ने म0प्र0शासन से प्राप्त भूमि को अनावेदक क्रमांक–2 जयप्रकाश इन्ड्रस्टीज लिमि0नौवस्ता को विक्रय कर दिया है । म0प्र0शासन से पटटे पर प्राप्त भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय हुई है, जिस पर स्वमेव निगरानी में कलेक्टर को विचार करना था परन्तु इस तथ्य का जिक्र तत्कालीन सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल व्दारा पारित आदेश दिनांक 25–3–2003 में नहीं है । स्पष्ट है कि तत्का. सदस्य के अभिज्ञान में इस तथ्य के न आने के कारण ही उनसे इस पर विचार न करने की प्रंत्यक्षदर्शी भूल हुई है जिसके कारण उनसे कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 99/1997–98 स्व.निगरानी में की जा रही कार्यवाही निरस्त करने में भूल हुई है।

6/ प्रकरण के अभिलेख से यह भी परिलक्षित है कि आवंटिति वृजनन्दन प्रसाद

पाण्डेय पुत्र मंगलराम पाण्डेय के नाम पूर्व से ही ग्राम में 27-26 एकड़ भूमि है जिसके कारण भूमि व्यवस्थापन/आवंटन के लिये वह अपात्र है। वृजनन्दन प्रसाद पाण्डेय के परिजनों के नाम 165-02 एकड़ भूमि है अर्थात व्यवस्थापिती वृजनन्दन प्रसाद पाण्डेय बहुत बड़ा कास्तकार है जिसे भूमि व्यवस्थापन/आवंटन की पात्रता ही नहीं थी फिर भी अपात्र व्यक्ति के हित में नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर जिला रीवा ने आदेश दिनांक 20-11-1985 से ग्राम दादर शासकीय भूमि सर्वे कमांक 1384 रकबा 0.82 एकड़ का व्यवस्थापन करने में भूल की गई है , किन्तु इन तथ्यों का विवरण तत्कालीन सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 25-3-2003 नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण ने तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल के समक्ष भ्रमपूर्ण निगरानी प्रस्तुत कर वास्तविकता छिपाई है एंव तत्समय इन तथ्यों से तत्कालीन सदस्य राजस्व मंडल वाकिफ नहीं हो सके , और इन्हीं तथ्यों के ओझल रहने से तत्कालीन सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर से भ्रम में रहते हुये आदेश दिनांक 25-3-2003 पारित हुआ है जिसके कारण ऐसे आदेश को न्याय हित में स्थिर नहीं रखा जा सकता।

7/ तत्कालीन सदस्य , म0प्र0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1568-एक/2001 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-3-2003 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने कलेक्टर रीवा व्दारा स्वमेव निगरानी में की जा रही कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त किया है कि ए0आई0आर0 1969 एस0सी0 1297 एंव 1998 एम0पी0डव्ल्यू0एन0 प्रथम नोट 26 तथा 1990 आर0एन0 407 के दृष्टांत के आधार पर कलेक्टर व्दारा की जा रही स्वमेव निगरानी कार्यवाही को 11 वर्ष उपरांत प्रयोग करना अनुचित माना है, परन्तु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 20-11-1985 जिला प्रशासन के ध्यान में कब आया। प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि संयुक्त कलेक्टर रीवा व्दारा नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर के प्रकरण कमांक 56 अ-19/1984-85 का परीक्षण करने पर जब जांच प्रतिवेदन दिनांक 4-8-1998 प्रस्तुत किया, तब कलेक्टर के ध्यान में नायव तहसीलदार व्दारा भूमि बन्टन/व्यवस्थापन में की गई अनियमिततायें

आने पर स्वमेव निगरानी जानकारी के दिन से समयावधि में दर्ज की गई है।

1. म0प्र0राज्य विरूद्व गुलाबचंद 1996 रा0नि0 251 उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि विलम्ब माफ करने में न्यायालय को राज्य सहित समस्त मुकदमेवाजों के साथ समान व्यवहार करना चाहिये।
2. म0प्र0राज्य विरूद्व एस0एस0अकोलकर 1996(2) विधि भास्वर 1 सुप्रिम कोर्ट में व्यवस्था दी गई है कि तथापि सरकारी कार्यवाही में थोड़ा विलम्ब लगता सकता है विलम्ब माफ किया जाना चाहिये।
3. राजस्थान राज्य विरूद्व उमराव सिंह 1995(1) म0प्र0वीकली नोट्स 21 सु0कोर्ट एंव म0प्र0राज्य वि. श्रीमती पुष्पादेवी 2006 रा0नि0 156 में व्यवस्था दी गई है कि प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण हुआ विलम्ब न्याय के हित में माफ करना चाहिये। राज्य कानूनी निकाय है इसके कार्यकलापों का प्रबंध अनेक अधिकारियों व्दारा किया जाता है उसकी ओर से विलम्ब उदारतापूर्वक माफ किया जाना चाहिये और मामला गुणागुण पर विनिश्चत किया जाना चाहिये।

ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त कलेक्टर रीवा के जांच प्रतिवेदन दिनांक 4–8–1998 का तथ्य तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल की दृष्टि से ओझल रहने के कारण वह विलम्ब के संबंध में सदभावनापूर्ण विचार नहीं कर सके है।

7/ प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि तत्कालीन सदस्य , म0प्र0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर का आदेश दिनांक 25–3–2003 निरस्त होने के उपरांत एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 25–4–2001 तथा कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 99/1997–98 स्व. निगरानी में की जा रही कार्यवाही पुर्नजीवित होने पर आवेदकगण को प्रत्यक्ष क्षति नहीं है क्योंकि कलेक्टर रीवा के समक्ष सुनवाई के दौरान उभय पक्ष को लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा बचाव प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तत्कालीन सदस्य , म0प्र0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1568–एक/2001 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–3–2003 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर